



प्यारे स्वराजी साथियों, क्षेत्र के किसानो, बहनों व संगठन के पदाधिकारियों जय गुरु!!

मैं हर माह इस पत्रिका के माध्यम से चर्चा करने के लिए आपके साथ हाजिर होता हूँ और उस महीने के विषय को ले करके पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से चर्चा करता रहा हूँ और हमेशा यही होता है कि हमारे इस माह के कार्य क्या है और हमें क्या ध्यान रखना होता है चूँकि ये तो हमारा त्योंहार का महीना था जो दीपावली का समय चला गया और हमारी नई फसल के आने का समय आ गया जिसमें हमें हमारी सर्दी की फसल की तैयारी, बुवाई का समय और तो और कहीं साथियों के पास जब पत्रिका पहुँचेगी तब तक शायद बुवाई भी कर चुके होंगे जिन्होंने बरसात का उपयोग करके चने की बुवाई की होगी।

एक चर्चा चूँकि हमारी बरसात की फसल पूरी हो चुकी है उसी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा जब दिपावली के बाद से निरंतर बरसात का दौर चल रहा था तो मुझे किसी साथी ने यह पूछा आपका क्या कहना है इस साल की बरसात ने खेती पर क्या प्रभाव डाला, हमारी खरीब की खेती के बारे में आपका क्या मानना है तो मैंने दुसरें किसानों से जब पूछा तो किसी ने कहा कि हमारा सोयाबीन कई बुवाई के बाद भी नहीं हुआ तो किसी ने बताया कि हमारे उड़द गल गए। कुछ साथियों ने कहा की हमने सारी चीजे की थी तो जो पहले बुवाई के समय में तो कुछ चवले हो गए, तो किसी ने कहा की हमारे खाने में काचरी हुई, किसी ने कहा की मक्के के भुट्टा तो खाए, किसी ने कहा पीली मक्की तो हुई, सफेद नहीं हुई ऐसे अलग-अलग उदाहरण सब देते रहे, परंतु एक किसान ने जरूरी यह कहा कि अगर अच्छा हुआ मैं एक खेती के भरोसे नहीं रहा क्योंकि अगर एक के भरोसे रहा होता तो शायद जिसने एक चीज की उसका सब कुछ खत्म हो गया वैसे खत्म हो जाता तो मैं यहाँ पर जो हर बार हम कहते हैं कि सभी चीजे हमें खेतों में करनी चाहिए कुछ-कुछ जिससे कि हमारी निर्भरता किसी एक फसल पर नहीं हो करके हमारी स्वतंत्रता बनी रहे वह बात पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे बाप-दादा सही कहते थे हांगडी खेती से हम निश्चित हो जाते कुछ तो होगा, जरूर होगा और हमारे खाने की चीजे तो पूर्ण होगी।

इसके साथ जब हाल ही की हुई बरसात और उससे चावल की फसलों के नुकसान कि जब बात चल रही थी, धान की फसल का नुकसान और उसको लेकर के तो मुझे किसी किसान ने कहा नहीं-नहीं हम तो बहुत खुश है इस बरसात से हमारे चने की फसल की बुवाई बहुत अच्छी हो सकेगी तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ तो मक्का भी बहुत अच्छा होता है अब की बार हम मक्का बो देंगे तो उसको भरपूर समय मिलेगा और हमने तो बुवाई कर दिया उसमें यह बात पूर्ण रूप से मजबूती से निकल करके आई कि अगर किसान सजक है तो वह किसी भी मौसम की मार से बचकर के निकल सकता है, परंतु सजकता बहुत जरूरी है। जहाँ एक किसान इस बरसात से नुकसान सोच रहा था तो दूसरा किसान उस समय कह रहा था की बरसात से मैंने चने की बुवाई कर दी चना अच्छा होगा तो यह सीधा-सीधा उदाहरण है किसान की सजकता उसको सुरक्षा देती है, उसकी आजीविका को सुरक्षा देती है और उसकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है बाहरी निर्भरता को कम करती है। इस बात को हमें सोच करके आने वाली फसल में भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम केवल मात्र एक फसल पर ना रह करके हमारे विभिन्न फसलों पर ध्यान दें।

चूँकि दीपावली के बाद हमारे क्षेत्र से एक बड़ा पलायन होता है और जिसमें परिवार के कई सदस्य गुजरात कमाने के लिए चले जाते हैं। मैं इस पत्रिका के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ की कृपा करके अपने बच्चों की पढ़ाई महत्वपूर्ण है और पढ़ाई ज्ञान के लिए जरूरी है। नौकरी केवल मात्र नौकरी के लिए नहीं इस चीज को ध्यान रखें और अपने परिवार के बच्चे, अपने फले के बच्चे, अपने गांव के बच्चों को गुजरात न भेज करके शिक्षा से वंचित होने से बचाए यह हमारी प्रत्येक की जिम्मेदारी है हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

अंत में लिखने से कुछ घंटे पहले जब मैं देख रहा था हमारे क्षेत्र में नरेगा के दिन औसत कम होते जा रहे हैं हम 50 दिन के आसपास हमारे प्रत्येक के दिन होते जा रहे हैं जबकि हमारा कम से कम 100 दिन का हक है, हम उसे क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों हम हमारे काम की मांग नहीं करते है अगर हम ध्यान देना छोड़ देंगे, नरेगा को अपनाना छोड़ देंगे तो इस योजना का महत्व कम हो जाएगा और हमारी सुरक्षा कम हो जाएगी यह हमारा घर बैठे हमारे खेत के काम का हक है, इसे मजबूत बनाना हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि हम हमारे घर पर हमारा रोजगार पा सके।

उक्त संदेशो को मैं आग्रह करना चाहता हूँ की यह पत्रिका केवल मात्र आप स्वयं पढ़कर के अपने स्वयं के पास सिमित ना रख कर ज्यादा से ज्यादा संगठन के साथियों, ग्रामवासियों सब तब तक पहुँचाए यह हमारी पहली जिम्मेदारी है।

धन्यवाद !!!

जय गुरुदेव

जय स्वराज

आपका अपना

जयेश जोशी

सामुदायिक बीज सुरक्षा : खरीफ बीज संरक्षण से लेकर रबी बीजोपचार तक

राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानो विशेषकर आदिवासी किसानो की आजीविका का मुख्य आधार खेती और पशुपालन रहा है। बीज प्रकृति की अनमोल धरोहर है जिस पर खेती की बुनियाद टीकी है। हजारो वर्षों से हमारे पूर्वजो ने बाली, फल, फली व कंदमूल आदि को बड़े परिश्रम से जाँच परख कर खाने योग्य बनाने की तकनीक विकसित की है। उनके ही परिश्रम से खेती, किसानी और पशुपालन की संस्कृति का जन्म हुआ है। बेहतर गुणवत्ता वाले बीजो को पहचानकर उन्हें वर्षभर सुरक्षित रखने के तरीको का विकास हुआ। हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा पीढ़ियों से बीजो का संरक्षण किया जा रहा है और यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी बन गया है बीजो को पहचानने और उन्हें संरक्षित करने का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, बढ़ते बाजारवाद के बावजूद समुदाय आज भी अपने परंपरागत ज्ञान को संजोकर रखे है और यह ज्ञान बीज स्वराज के रूप में विकसित हुआ है। यह हमारे क्षेत्र के आदिवासी किसानो की संस्कृति ही है जिन्होंने सैकड़ो प्रकार के बीजो को सहेजा है बल्कि बीजो को हमेशा संरक्षित रखने के लिए बीज संरक्षण की विभिन्न तकनीकों भी विकसित की है। परन्तु बढ़ते बाजारवाद के कारण संकर बीजो का चलन प्रारंभ हुआ। साथ-साथ ही अन्य आदानो जैसे सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशको पर खर्च भी बढ़ता गया जिससे किसान लालच में आकर एक ओर कर्ज के जाल में फंस गया तो दूसरी ओर खेत की मिटटी और पानी भी विषैला होता गया।

ऐसी परिस्थितियों में हमें पुनः अपने स्थानीय और गुणों से भरपूर देशी बीजो को संरक्षित करना होगा। यह कार्य हम आज से और अभी से कर सकते है। हाल ही में हम सभी ने खरीफ फसल के रूप में मक्का, उड़द, चवला, अरहर, मूंगफली, तिल, काँग, रागी, कुरी, समा, चीना आदि उत्पादित की है। फसल की गहाई और उड़ाई के बाद प्राप्त हुए बीजो को ग्रेडिंग कर ले और समान आकार, प्रकार, रंग और बिना किसी कीट या रोग से ग्रसित बीजो को लेकर विभिन्न पद्धतियों के माध्यम अपनाकर संगृहीत करते है।

- मटके में संग्रहण** : विभिन्न प्रकार की दालें जैसे उड़द, मूंग, चना, तुअर, झालर, तिलहन जैसे बीज जो अनाज की अपेक्षा कम मात्रा में लगते है उन्हें अलग अलग आकार के मटके में रखते है। मटको में बीज को रखने से पहले धुप में सुखा लेते है इससे किसी भी प्रकार की नमी या फिर कीट नहीं लगते है। सरक्षित किये जाने वाले बीजो को भी धुप में सुखाते है और उसके बाद बीजो को राख में मिलाकर मटके में भर देते है और अंत में मटके के उपरी भाग को गोबर और मिटटी के मिश्रण से लीप कर पैक कर देते है। जब भी बुवाई करना होती है या बीज की आवश्यकता होती है तब उपरी भाग को हटाकर बीज लेते है। इस प्रकार 2 से 3 वर्ष तक बीज सुरक्षित रहता है।
- फल को साबुत लटकाकर** : कुछ फसल जैसे लोकी, तुरई, झुमकी आदि के बीजो का उनके पके हुए फलो में ही ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार पकी हुई लौकी को सुखाकर उसका गुदा निकालकर उसे खोखला कर देते है और फिर अच्छे से साफ करके उसमे अन्य सब्जी प्रजाति के बीजो को भरकर कपडे से बंद करते है और उसके ऊपर गोबर व गोमूत्र का लेप कर देते है। इससे बीज सुरक्षित रहता है।
- फलीदार सब्जियों के बीजों** जैसे बैंगन, लोबिया, मक्का आदि के बीजो के संरक्षण के लिए उसकी गुच्छी बनाकर किसी ऐसी जगह टांग देना चाहिए जहाँ धुप व हवा लगती रहे परन्तु बारिश से बचाव हो सके।
- प्याज और लहसुन के बीजो** को सहेजकर रखने के लिए इनकी गठितया बांधकर इन्हें हवादार परन्तु अँधेरे कमरे में टांगने से सुरक्षित रहते है।
- सरसों और अरंडी के तेल** का प्रयोग भी इसी तरह के बीजो को सुरक्षित रखने के उपयुक्त होते है। इसके लिए बीजो को तेल के साथ तब तक मिलाते है जब तक की बीज तेल से चमकने न लग जाये।
- अदरक, हल्दी, अरबी, मुसली आदि** को बीज के लिए सहेजने के लिए खेत के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमे बीज रखकर घाँस-फूस से ढक देते है।
- सागवान या टिक के पत्ते पर बीजो को चिपकाकर** : जिन फलो में चिकनाई होती है जैसे टमाटर, ककड़ी आदि के बीजो को सागवान के पत्ते पर छिड़क देते है यह बीज पत्ते पर चिपक जाते है। इन पत्तो को किसी ऊँचे स्थान पर लटका कर रख दिया जाता है। जब अगले सीजन में बीज की जरूरत होती है तो पत्ते को रगड़कर बीजो को निकाल सकते है और बुवाई कर सकते है। इससे बीज हमेशा सुरक्षित रहता है।

इन सभी प्रकार से बीज संरक्षण करने से घर पर ही शुद्ध देशी बीज उपलब्ध हो जाता है। इन तरीको को अपनाने से बीज में किसी प्रकार का कीट नहीं लगता है। बाजार से बीज लाने की जरूरत नहीं पड़ती है बीजो के मामले में स्वनिर्भरता आती है।



रबी फसलों का बीजोपचार

वर्तमान में हमारे किसान भाई-बहन रबी फसल की बुवाई का काम करने जा रहे है जिसमें गेंहूँ, जौ, चना, मक्का, मटर, मसूर आदि की फसले प्रमुख रूप से लगाई जानी है। रबी की फसल की बुवाई से पहले उनका बीजोपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीजोपचार के लिए हमारे आसपास उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके बीजोपचार कर सकते है। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है और हमें लम्बे समय तक लाभ प्रदान करता है।

बीजोपचार से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है :

- रोग नियंत्रण** : ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम आदि से बीजोपचार करने पर बीज में फफूंद और जीवाणुओं से होने वाले रोग नहीं लगते हैं। यह बीज की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते है और पौधों को स्वस्थ रखते है।
- बीज अंकुरण में वृद्धि** : बीजोपचार करने से बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है। वे जल्दी अंकुरित होते हैं। जिससे पौधे स्वस्थ और मजबूत होते हैं।
- मिट्टी की उर्वरता में सुधार** : बीजोपचार करने से मिट्टी में लाभकारी छोटे छोटे जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते

वनोपजों के अनुमानित भाव : नीमच मंडी में विभिन्न वनोपज के भाव नीचे दिए गए हैं –

दिनांक : 31 अक्टूबर 2025

फसल	न्यूनतम भाव	अधिकतम भाव	औसतन भाव	फसल	न्यूनतम भाव	अधिकतम भाव	औसतन भाव	फसल	न्यूनतम भाव	अधिकतम भाव	औसतन भाव	फसल	न्यूनतम भाव	अधिकतम भाव	औसतन भाव
गेंहूँ	2311	3166	2645	चना डालर	3500	8500	7300	पोस्ता	95000	151000	130000	लहसुन	3121	13051	6850
मक्का	1730	2611	1975	सोयाबीन	3100	4555	4050	मैथी	4400	6650	5250	प्याज	325	1311	750
जौ	2100	2600	2400	रायडा	6000	6558	6380	धनिया	4601	7700	6211	अश्वगंधा	17500	36000	27500
उड़द	3000	6201	5000	मूंगफली	2730	7273	4500	अजवाइन	6000	15550	10000	तुलसी बीज	9500	14401	12911
चना	4950	5730	5400	अलसी	7820	8211	8051	इसबगोल	5800	11800	10500	चिया बीज	12000	23400	20300
मसुर	6101	6401	6250	तिल्ली	3000	10000	9000	कलौंजी	19000	25100	21000	किनोवा	2680	4850	2972

ध्यान दें : ये भाव अनुमानित हैं और मंडी में फसल की गुणवत्ता और मांग के अनुसार बदल सकते हैं। किसी भी लेन-देन से पहले मंडी में वर्तमान भाव की पुष्टि करना आवश्यक है।



आदिवासी क्षेत्रों में पोषण, स्वास्थ्य और जागरूकता



स्थानीय तोर-तरीकों से समाधान

हमारे गाँव, हमारी पहचान

आदिवासी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाते हैं। हमारे गाँवों में जंगल, नदियाँ, खेत और पहाड़ हमारी आजीविका के आधार हैं। आदिवासी जीवनशैली हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, यह जीवन और भोजन, दोनों को स्वस्थ बनाता है।

बच्चों और महिलाओं में कुपोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य की समस्याएँ, जलजनित रोग व समय पर चिकित्सकीय सेवाओं की कमी अक्सर देखने को मिलती हैं। फिर भी हमारी संस्कृति, परंपरा और स्वराज की भावना हमें इन समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। हमारे बुजुर्गों से मिली सीख और अनुभव हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं।

स्थानीय पोषण और खाद्य संसाधन

हमारा आहार मुख्य रूप से स्थानीय संसाधनों पर आधारित है। जंगल और खेत से मिलने वाले फल, जड़ी-बूटियाँ, बीज और अनाज रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं। बाजरा, मक्का, तुअर, मूंग, तिल और चना बच्चों और महिलाओं के लिए आवश्यक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा देते हैं। हर घर में पोषणवाड़ी होती है। इसमें लौकी, तोरई, गिलकी, सेम्फली, भिंडी, रजन, छिम्डी, मिर्च, बैंगन और मौसमी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। इससे घर में हर दिन ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलता है। हमारी माताएँ हल्दी, नीम, तुलसी, नवली और अन्य जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल हल्के बुखार, पेट दर्द और छोटी बीमारियों में करती हैं। इस तरह, परंपरागत ज्ञान और स्थानीय संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य और पोषण में मदद करता है।

जल और स्वच्छता का महत्व

अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ खाने से नहीं, साफ पानी और स्वच्छता भी जरूरी हैं। हमारे गाँव में तालाब, कुएँ, नदियाँ व वर्षा जल संचयन के छोटे गड्ढे जीवनदायिनी हैं। हमारे पूर्वजों ने सोखा गड्ढा, तालाब-कुएँ की सफाई, पुराने जल स्रोतों की मरम्मत और खेत में जल संचयन जैसे तरीके अपनाए। ये बीमारियों को कम करते हैं और खेती- पशुपालन में मदद करते हैं। घर के आसपास सफाई रखना, बच्चों को हाथ धोने की आदत डालना और कचरा सही जगह पर डालना हमारी रोजमर्रा की आदत हैं। ये छोटे-छोटे कदम भी स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं।

पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल

हमारे समुदाय में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आज भी जीवित है। बुजुर्ग हल्के बुखार, चोट, पेट की समस्या व खांसी-जुकाम के लिए जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करते हैं। नीम, हल्दी, बेल और गिलोय जैसी जड़ी-बूटियाँ पीढ़ियों से काम आ रही हैं।

सक्षम समूह हमारे गांव में स्वास्थ्य और पोषण की जागरूकता



फैला रहे है। समूह बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करा रहे है, गर्भवती महिलाओं की नियमित देखभाल कर रहे है और घर-घर जाकर पोषण की जानकारी दे रहे है। इसके साथ ही, साफ-सफाई और स्वच्छता के महत्व पर गाँव की अन्य महिलाओ को प्रेरित कर है। यह समूह पारंपरिक घरेलू उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य उपायों का संतुलित उपयोग बता रहे है, जिससे गांव का स्वास्थ्य मजबूत होता जा रहा है। समुदाय के सभी सदस्य, विशेषकर महिलाएँ और युवा, इन प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होकर स्वास्थ्य सुधार और पोषण सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं।

समुदाय की सक्रिय भागीदारी

स्वास्थ्य और पोषण तभी बेहतर हो सकते हैं जब पूरा समुदाय सक्रिय रूप से इसमें भाग ले। हमारे गांवों में सक्षम समूह, बाल स्वराज समूह और ग्राम स्वराज समूह मिलकर पोषणवाड़ी लगा रहे हैं, जहां ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं। ये समूह बच्चों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखते हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए उचित कदम लेते हैं व घर-घर जाकर पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करना इनकी प्रमुख भूमिका निभाते है।

स्थानीय ह्योहार, नृत्य और लोकगीत भी स्वास्थ्य संदेश फैलाने के असरदार तरीके हैं। बच्चों और युवाओं को खेल-खेल में पोषण, सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में सिखाया जाता है। इससे उन्हें न केवल जानकारी मिलती है बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी मिलती है। सामूहिक प्रयास से पूरा समुदाय स्वास्थ्य और पोषण में सशक्त बनता है।

स्थानीय खेती और पोषण का संबंध

हमारे क्षेत्र के किसान मक्का, बाजरा, तुअर, उड़द, धान, मूंग, तिल और कंद-फलियाँ एक साथ उगाते हैं। इस मिश्रित खेती से मिट्टी उपजाऊ रहती है और फसल अच्छी होती है। अलग-अलग फसलें उगाने से हमारे आहार में पोषण संतुलित रहता है। किसान पारंपरिक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और हल्की जुताई का इस्तेमाल करके मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखते है। यह तरीका फसल, पोषण और स्वास्थ्य को मजबूत करता है और आदिवासी समाज की स्वराज और स्वावलंबन की भावना को बढ़ाता है।

जल और मृदा संरक्षण के उपाय

पोषण और स्वास्थ्य में मिट्टी और जल संरक्षण की बड़ी भूमिका है। हमारे अंचल के किसान मेढ-बंदी, हल्की जुताई, पारंपरिक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करके मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। इससे फसलें अच्छी होती हैं और घर का आहार पोषक बनता है। तालाबों की सफाई और खेतों में जल संचयन से पानी की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे फसल और पशुपालन दोनों मजबूत हुए हैं। जब पूरा समुदाय मिलकर ये उपाय करता है, तो स्वास्थ्य और पोषण में सुधार देखने को मिला है। स्वराज की भावना के तहत, लोग अपने गांव में निर्णय लेने लगे हैं और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इससे न केवल मिट्टी और पानी बचा है, बल्कि पूरे समुदाय का भला हुआ है। सामूहिक प्रयास से गाँव सशक्त, जागरूक और स्वस्थ बनना शुरू हुआ है और स्थानीय संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है।

महिला एवं युवा नेतृत्व : समुदाय बदलाव की नई पहल

समाज की प्रगति की कहानी तब पूरी होती है जब उसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति की भागीदारी हो। जब निर्णय केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहकर समुदाय के हर सदस्य की सोच का हिस्सा बनते हैं, तभी विकास की दिशा ठिकाऊ बनती है। आदिवासी समुदायों में सामूहिक जीवनशैली और पारस्परिक सहयोग की परंपरा हमेशा से रही है। वहीं से नेतृत्व की यह भावना जन्म लेती है कि हर व्यक्ति अपने समाज का प्रतिनिधि है। यही विचार आज फिर से जीवंत हो रहा है, जहाँ महिलाएँ और युवा अपने समुदाय की आवाज बन रहे हैं।

आज यह समझना बेहद आवश्यक है कि नेतृत्व केवल मंच या पद पाने का नाम नहीं है। यह उस जिम्मेदारी की स्वीकृति है जहाँ व्यक्ति अपने आसपास के समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। जब महिलाएँ पंचायत, स्व-सहायता समूहों या ग्राम सभा में निर्णय लेती हैं, तो वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बोलती हैं। उनकी प्राथमिकताएँ जैसे स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, जल संरक्षण, या बालिकाओं की सुरक्षा — समाज के वास्तविक मुद्दों को सामने लाती हैं।

कई बार परिवर्तन छोटे-छोटे प्रयासों से शुरू होता है। युवाओं की सोच में जो जोश और नवीनता है, वही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। जब उन्हें सही दिशा, प्रशिक्षण और सहयोग मिलता है तो वे समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन जाते हैं। आज के युवा सूचना के युग में जी रहे हैं, उनके पास ज्ञान, तकनीक और नए विचार हैं। यदि इन विचारों को समुदाय के विकास से जोड़ा जाए, तो गाँवों में नवाचार की अनगिनत संभावनाएँ खुल सकती हैं।

महिला और युवा नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लोगों में 'अपनत्व' की भावना पैदा करता है। जब निर्णय प्रक्रिया में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है तो योजनाएँ केवल "सरकार की योजना" नहीं रह जातीं, बल्कि "हमारी योजना" बन जाती हैं। यही भाव स्थायी विकास की जड़ है। नेतृत्व विकास की प्रक्रिया में संवाद और सहयोग दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। कई जगहों पर यह देखा गया कि जब महिलाएँ और युवा एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर विचार करते हैं तो समाधान अधिक व्यवहारिक और स्थायी होता है, क्योंकि वे उस समस्या को अपने अनुभवों से जानते हैं और उसके समाधान को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। ग्राम स्तर पर ऐसे प्रयासों से सामाजिक बंधन भी मजबूत होते हैं। महिलाएँ जब बैठकें करती हैं तो वे केवल योजनाओं पर नहीं बल्कि एक-दूसरे के जीवन के अनुभव साझा करती हैं। इससे उनमें आत्मीयता और सामूहिक सोच विकसित होती है। युवा जब सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो उनमें जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भावना बढ़ती है। यही नेतृत्व का सार है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश।

आज के समय में नेतृत्व की यह प्रक्रिया केवल सामाजिक बदलाव का माध्यम नहीं, बल्कि नई सोच की जननी है। यह

सोच कहती है कि विकास का असली अर्थ है "लोगों के भीतर आत्मविश्वास पैदा करना।" यही कारण है कि आज कई संगठन और संस्थाएँ इस दिशा में कार्य कर रही हैं कि महिलाएँ और युवा अपनी क्षमता को पहचानें, अपने गाँव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएँ और अपने निर्णय स्वयं लें। नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा परिवर्तन तब दिखाई देता है जब महिलाएँ और युवा यह मानने लगते हैं कि "हम भी कर सकते हैं।" यह आत्मविश्वास ही उन्हें हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब कोई महिला अपने गाँव में बैठकों का संचालन करती है, तो वह केवल एक चर्चा नहीं चला रही होती। वह एक परंपरा को तोड़ रही होती है और नई परंपरा की शुरुआत कर रही होती है।

आदिवासी अंचलों में यह पहल और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सामुदायिक जीवन की जड़ें गहरी हैं। यहाँ के युवा अपने संस्कृति, पर्यावरण और परंपराओं से गहराई से जुड़े प्राथमिकताएँ जैसे स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, जल संरक्षण, या परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। वे अपने पूर्वजों के



ज्ञान को आधुनिक सोच से जोड़ते हैं। यही "स्थानीय से वैश्विक" सोच का आधार है।नेतृत्व विकास का यह आंदोलन धीरे-धीरे एक सामाजिक जागरण का रूप ले रहा है। यह न केवल महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि पूरे समुदाय को जिम्मेदार बना रहा है। आज गाँवों में जब कोई महिला पंचायत में अपनी बात रखती है या कोई युवा ग्राम सभा में नशा मुक्त समाज की बात करता है तो वह केवल एक मुद्दा नहीं उठाता वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा तय करता है।

अब आवश्यकता है कि इन प्रयासों को और सुदृढ़ किया जाए। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण व निरंतर संवाद के माध्यम से इन नेतृत्वकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए। पंचायत, प्रशासन, संस्थाएँ और समुदाय सभी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं और युवाओं के पास निर्णय लेने के समान अवसर हों।

क्योंकि जब महिलाएँ और युवा अपने समाज की दिशा तय करने लगते हैं तो विकास केवल योजनाओं में नहींजीवन में दिखाई देता है।

यह नई पहल केवल बदलाव की शुरुआत नहीं है यह उस समाज की परिकल्पना है जहाँ समानता, सहभागिता और सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार हो।



सतत् कृषि एवं प्राकृतिक समाधान

रबी की फसलों में जल संचयन

दक्षिण राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश का वागड़ क्षेत्र जैसे अर्ध-शुष्क इलाकों में वर्षा का अधिकतम भाग खरीफ मौसम (जून-सितंबर) में होता है। इसके बाद आने वाला रबी मौसम (अक्टूबर-मार्च) प्रायः शुष्क रहता है, जिससे सिंचाई जल की उपलब्धता सीमित होती है। ऐसे में सही सिंचाई प्रबंधन, भूमि की नमी का संरक्षण, और जल संचयन के स्थानीय उपाय ही फसल की सफलता का आधार बनते हैं। गेहूँ, चना, जौ, लहसुन, प्याज, अलसी, मसूर आदि के संदर्भ में जल संरक्षण और प्रबंधन के वैज्ञानिक व पारंपरिक उपायों को समझेंगे।

वागड़ का कृषि तंत्र मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। परंतु रबी सीजन की फसलें (जैसे गेहूँ, चना, जौ, मसूर आदि) प्रायः शीत ऋतु (अक्टूबर से मार्च) में बोई जाती हैं, जब वर्षा बहुत नहीं होती है। इसलिए इस मौसम में सिंचाई का कुशल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।

रबी फसलों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है की मिट्टी में उपलब्ध नमी को कितनी देर तक सुरक्षित रखा जाए, और सिंचाई के प्रत्येक बूंद जल का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए।

इस संदर्भ में "सिंचाई प्रबंधन" केवल जल देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जल का संरक्षण, पुनर्भरण और संतुलित उपयोग का समग्र दृष्टिकोण है।

रबी मौसम में जल की स्थिति

- अधिकांश क्षेत्रों में जल स्रोत सीमित होते हैं जैसे कुएँ, नलकूप, तालाब, एनिकट या नहरें।
- लगातार भूजल दोहन से जलस्तर गिरता जा रहा है।
- मिट्टी में नमी संरक्षण की कमी के कारण फसलों को बार-बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

इसलिए जल संचयन और संरक्षण तकनीकों का अपनाना अब आवश्यकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन गया है।

सिंचाई प्रबंधन के सिद्धांत

- कम जल में अधिक उत्पादन का सिद्धांत — प्रत्येक सिंचाई का उद्देश्य मिट्टी की नमी संतुलन को बनाए रखना हो।

- मिट्टी की नमी की निगरानी — सिंचाई केवल तब न करें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे।
- फसल की अवस्था आधारित सिंचाई — प्रत्येक फसल की महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्थाओं पर सिंचाई आवश्यक होती है।
- स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण — खेत के पास उपलब्ध के जल स्रोत तालाब, कुआँ, नलकूप को पुनर्भरण करने के उपाय अपनाएँ।

जल संचयन एवं संरक्षण की खेत स्तर पर तकनीकें

- पलवार — फसल के बीच में सूखी घास, पत्ते, भूसा आदि बिछाने से मिट्टी की नमी सुरक्षित रहती है। मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है।
- बेड एंड फर्रो पद्धति — गेहूँ जैसी फसलों के लिए यह पद्धति बहुत उपयोगी है। इससे जल फसलों की जड़ों तक समान रूप से पहुँचता है। इस वजल की बचत होती है।
- खेत समतलीकरण — खेत समतल करने से सिंचाई समान रूप से होती है और लगभग 20–30 प्रतिशत जल बचता है।
- कंटूर फार्मिंग — ढाल वाले खेतों में जल बहाव को रोककर अधिक समय तक नमी बनाए रखी जा सकती है।
- अंतर फसल — दलहनी फसलों (चना, मसूर) के साथ या गेहूँ की मिश्रित खेती से नमी का संतुलन बना रहता है।

सिंचाई की उन्नत प्रणालियाँ

टपक सिंचाई

- पानी बूंद-बूंद रूप में सीधे जड़ तक पहुँचता है।
- 40–60 प्रतिशत जल की बचत और उत्पादन में वृद्धि।
- उपयुक्त — सब्जी, फल, लहसुन, प्याज।

फव्वारा सिंचाई

- वर्षा जैसी सिंचाई, समान रूप से जल वितरण।
- 30–40 प्रतिशत जल की बचत।
- उपयुक्त — गेहूँ, जौ, चना आदि।

फर्रो सिंचाई

- कतारों के बीच में नालियाँ बनाकर जल देना।
- पानी सीधे जड़ों तक जाता है, सतही वाष्पीकरण कम होता है।

जल पुनर्भरण एवं संचयन संरचनाएँ

- खेत तालाब — वर्षा जल को खेत में ही रोककर पुनः सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। यह भू जल स्तर बढ़ाने में भी सहायक है।
- डाइवर्जन चौनल एवं चेकडैम — बरसाती पानी को रोककर धीरे-धीरे रिसाव से जल स्तर बढ़ाया जा सकता है।
- रिचार्ज पिट्स एवं परकुलेशन टैंक — गाँव या खेत के पास बनाए जाने वाले ये गड्ढे वर्षा जल को जमीन में रिसने देते हैं।

जैविक और पारंपरिक उपाय

- हल्की गुड़ाई — मिट्टी की ऊपरी परत को ढीला कर नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है।
- जीवामृत या गोमूत्र आधारित घोल — जल-धारण मिट्टी की जल-धारण क्षमता को बढ़ाते हैं।
- मृदा में जैविक पदार्थ बढ़ाना — इससे नमी धारण क्षमता में 30–40 प्रतिशत वृद्धि होती है।
- परंपरागत खेत जल संरक्षण संरचनाएँ — मेढबंदी, पौध रोपण, पलवार आदि।

सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजनाएँ

सिंचाई जल संरक्षण से जुड़े व्यवहारिक सुझाव

योजना	प्रमुख उद्देश्य	लाभार्थी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	हर खेत को पानी एवं जल उपयोग दक्षता	सभी किसान
जल शक्ति अभियान	जल पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन	ग्रामीण समुदाय
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सूक्ष्म सिंचाई उपकरण हेतु अनुदान	छोटे एवं सीमांत किसान
कृषि जल उपयोग दक्षता योजना	ड्रिप व स्प्रिंकलर प्रणाली प्रोत्साहन	व्यक्तिगत / सामूहिक स्तर



- दिन के ठंडे समय (सुबह या शाम) में सिंचाई करें।
- सिंचाई से पहले खरपतवार निकालें ताकि जल व्यर्थ न जाए।
- खेत की मिट्टी की नमी बार-बार जांचें, अनावश्यक सिंचाई न करें।
- प्रत्येक खेत में जल निकासी की सुविधा रखें ताकि जल भराव से फसल क्षति न हो।
- रबी सीजन में जल की हर बूंद अमूल्य है।यदि किसान सिंचाई को केवल "जल देने" की प्रक्रिया न मानकर "जल संरक्षण और पुनर्भरण" की प्रक्रिया के रूप में अपनार्यें तो न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
- "जल है तो फसल है, फसल है तो जीवन है।"
- रबी की फसलों में वैज्ञानिक सिंचाई प्रबंधन, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रयासों के समन्वय से ही हम जल समृद्ध और ठिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
- "पानी का सही समय पर, सही मात्रा में और सही विधि से उपयोग।"

यदि किसान सिंचाई प्रबंधन के साथ-साथ जल संचयन और संरक्षण के स्थानीय उपाय अपनाएँ तो यह न केवल उत्पादन बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।



बाल अधिकार : बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा व पोषण

हमारे आदिवासी समुदायों में बच्चे अपनी संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं से बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन जब बात उनके अधिकारों की आती है तो अक्सर वे अनजानेपन की अँधेरी राह पर खड़े मिलते हैं। कई बच्चे यह मानकर बड़े होते हैं कि उनकी तकलीफ और संघर्ष ही जीवन का सामान्य हिस्सा है। पर सच यह है कि हर बच्चे को बिना डर अपनी इच्छाएँ व्यक्त करने का अधिकार है। उन्हें सिर्फ सहारा नहीं बल्कि अपने भविष्य का निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता भी चाहिए। चाहे वह बीमारी में अस्पताल जाने का अधिकार हो,स्कूल में समान व्यवहार पाने का अधिकार हो या किसी भी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित रहने का अधिकार। यह सब किसी दया या सुविधा से नहीं बल्कि कानूनी अधिकार के रूप में उन्हें मिला है। जब बच्चों को जानकारी होगी कि क्या उनका हक है तभी वे गलत को गलत कह पाएँगे। हमारा समाज तब ही आगे बढ़ता है जब उस समाज के बच्चे सुरक्षित, सम्मानित और शिक्षित हों। आदिवासी समुदायों के बच्चे प्रकृति से गहरा संबंध रखते हैं। मेहनत, अनुशासन और जीवन कौशल उन्हें परिवार और संस्कृति से सहज रूप में मिलते हैं। फिर भी उनके सामने अनेक चुनौतियाँ हैं जो उनके अधिकारों और सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हैं।



संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि के अनुसार हर बच्चे को जीवन जीने, बढ़ने, सीखने और अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बच्चे इन अधिकारों से अब भी वंचित हैं। कई ऐसे कारण हैं जिसमे पलायन के कारण शिक्षा बाधित होती है,स्कूल की दूरी और संसाधनों की कमी बच्चों की पढ़ाई में रुकावट बनती है। कई बच्चे कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से लड़ते हुए बड़े होते हैं। बाल विवाह, बाल श्रम और विभिन्न प्रकार की हिंसा आज भी उनके बचपन पर सवाल खड़े करती हैं। यह स्थिति सिर्फ आँकड़ों की नहींबल्कि उन लाखों मासूम चेहरों की है जिनकी मुस्कान और सपनों पर समाज की संवेदनहीनता भारी पड़ जाती है। एक बच्चा स्कूल जाने की जगह मजदूरी करने को मजबूर हो जाये या एक किशोरी की राय को उसके जीवन से जुड़े निर्णयों में न सुनी जाए तो यह न केवल अधिकारों का हनन है बल्कि उनके भविष्य से समझौता भी है। बच्चों की सहभागिता का अधिकार अक्सर सबसे अधिक अनदेखा किया जाता है। बच्चों की भावनाएँ, उनकी इच्छाएँ और उनके सुझाव इन्हें अक्सर “बड़े होने पर समझेंगे” कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चे अपनी समुदाय की स्थितियों को सबसे निकट से समझते हैं। उनकी आवाज गाँव और समाज के निर्णयों को अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण बना सकती है।बाल स्वराजका मूल संदेश यही है कि बच्चे सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि अपने अधिकारों के दावेदार और समुदाय के भविष्य के नेता हो। इन अधिकारों को पाने के लिए बच्चों को अपने ही गाँवों और समाज में संघर्ष करना पड़ता है। अब समय है कि हम बच्चों के जीवन में यह विश्वास जगाएँ कि कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। समुदाय तभी विकसित होगा जब हर बच्चा यह समझे कि”मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी बात महत्वपूर्ण है और मेरे अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।”

बच्चों के अधिकार और समुदाय की चुनौतियाँ

कई बार हमारे समुदायों में बच्चों के अधिकारों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता हैं जितना उन्हें लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए जैसे :

शिक्षा का अधिकार

पलायन व गरीबी के कारण कई बच्चे स्कूल से दूर हो जाते हैं। खेत, ईंट भट्टों या घर के कामों में मदद को उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी समझा जाता है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर अब भी बहुत सी गलत धारणाएँ हैं जिससे उनके सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं।

स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार

पोषण की कमी, नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अभाव आज भी बड़ी चुनौती है। बच्चे कमजोर स्वास्थ्य के साथ बड़े होते हैं जिससे उनका संपूर्ण विकास रुक जाता है।

सुरक्षा का अधिकार

घरेलू हिंसा, बाल विवाह, शराब की लत का असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। कई बार बच्चे डर, चुपि में जीते रहते हैं क्योंकि उन्हें बोलने का अधिकार या माहौल नहीं मिलता।

सहभागिता का अधिकार

बच्चे अपनी बात खुलकर रखना चाहते हैं स्कूल, परिवार और समाज में लेकिन अक्सर उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता। “तुम बच्चे हो, चुप रहो” जैसी सोच उनके आत्मविश्वास और पहचान को दबा देती है। सच्चाई यह है कि बच्चों को अपने अधिकारों के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है कभी परिवार में, कभी स्कूल में और कभी पूरे समाज में। जब एक बच्चा पढ़ाई के लिए जिद करता है,जब कोई किशोरी अपनी शादी टालने के लिए हिम्मत दिखाती है या जब बाल समूह में खड़े होकर बच्चे अपने हकों की बात रखते हैं तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य के लिए लड़ रहे होते हैं।

बाल स्वराज : अधिकारों से नेतृत्व की ओर

वाग्धारा का “बाल स्वराज” का सपना इन्हीं बच्चों की आवाज को मजबूत करने की दिशा में है। हमारा मानना है कि बच्चे सिर्फ लाभार्थी नहीं वे बदलाव के सह निर्माता हैं। जब उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलता है तो वे अपने गाँव के विकास के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारा प्रयास है कि

- समुदाय बच्चों को सुरक्षा और सम्मान दे।
- स्कूल उन्हें सीखने का सर्वश्रेष्ठ अवसर दे।
- बाल स्वराज समूह उनकी आवाज को मंच प्रदान करे।

हमारी जिम्मेदारी

हर परिवार, हर समुदाय और हर संस्था से यह उम्मीद है कि वह बच्चों के अधिकारों को सिर्फ सुनने और समझने तक न रखे बल्कि उन्हें जीवन में लागू करें। एक स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित बचपन ही मजबूत समाज की नींव है। जब हम बच्चे के अधिकारों की रक्षा करते हैं तब हम अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। आज जरूरत है कि परिवार, समुदाय, स्कूल, पंचायत और संस्थाएँ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी बच्चों के अधिकार सिर्फ किताबों में न रहें बल्कि उनके जीवन में सच बनकर उतरें। हर माँ—बाप का संकल्प हो कि उनका बच्चा भय नहीं आत्मविश्वास के साथ बड़ा हो। हर शिक्षक का लक्ष्य हो कि कोई भी बच्चा सीखने के अवसर से वंचित न रहे व हर समुदाय का धर्म हो की वह बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और सपनों की रक्षा करे। बच्चे सिर्फ भविष्य का भरोसा नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता हैं। अगर आज उन्हें अधिकार मिलेंगे तभी कल उनका जीवन स्वतंत्र और सम्मानजनक होगा। जब एक बच्चा खुलकर अपनी बात कह पाएगा, स्वस्थ रहकर खेल पाएगा व पढ़—लिखकर आगे बढ़ पाएगा तब ही हम गर्व से कह पाएँगे कि हमारा समाज वास्तव में न्यायपूर्ण व विकसित है। आइए, आदिवासी बच्चों की इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उनके अधिकारों को जीवन का आधार बनाकर बाल स्वराज की उस सोच को धरातल पर उतारें जहाँ हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित व सम्मानित हो व सबसे महत्वपूर्ण अपनी आवाज स्वयं बुलंद कर सके।



हाट बाजार एक परिद्रश्य

विभिन्न समुदाय में जीवन की एक सशक्त परंपरा और आवश्यकता रही है जो आमजन के जनजीवन में गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। वर्तमान समय में भले ही भिन्न–भिन्न बदले हुए नामों में, रूपों में यह परंपरा हमारे सामने आ रही है लेकिन इसके मूल में कहीं न कहीं लोक परंपराएं, लोक मान्यताएं और आवश्यकताएं दिखाई देती है। हाट बाजार जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष को बनाए रखने में शुद्धता और स्थायित्व प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में बड़े–बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए है। ऐसे में अति प्राचीन परंपरा साप्ताहिक हाट का लगना निश्चित तौर पर अपने आप में सुखद अनुभूति है। जरूरत है तो इसकी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के साथ–साथ इसे संजोने की।

● **हाट क्या है और महत्व :**

- सांस्कृतिक महत्व
- आर्थिक महत्व
- सामाजिक महत्व

● **सांस्कृतिक महत्व :**

प्राचीन काल से चली आ रही हाट बाजार की परंपरा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस समय यातायात के आवागमन के कोई साधन नहीं होते थे तो लोग बैलगाड़ी व पैदल चलकर हाट लगने वाले स्थान पर पहुंचते, व आधा भी कई लोग अपने–अपने स्तर पर मोटरसाइकिल, साईकिल, बस, ऑटो आदि से अलग–अलग परिधानों में सजधज कर स्थानीय गीत–गाते हुए महिला–पुरुष बालक–बालिकाएं अलग–अलग टोलों में ढोल नगाड़ो के साथ गाते बजाते हुए आनंद के साथ झूमते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हाट में आते, जिससे आपसी प्रेम भाव के साथ ही एक ही स्थान पर विभिन्न समुदायों की संस्कृती देखने को मिलती है एक गाँव की संस्कृती अन्य कई गाँवो तक पहुंचती है, अपने पारम्परिक पोशाको में महिला–पुरुष समान रूप से स्वयं की संस्कृती को प्रदर्शित करते और हर सप्ताह लगने वाले हाट में अपने रिश्तेदारों से मिलकर हाल–चाल पूछते और बातो ही बातों में रिश्ते भी बन जाते है हाट के दिन विभिन्न समुदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के हाट का आनंद लेते है हाट विभिन्न समुदायों की संस्कृतियों का



एक छोटा सा संगम है।

आर्थिक महत्व : बड़े बड़े शहरों और कस्बो ,गांवों में भी पूरी चीजें नहीं मिलती थी उस समय में हाट प्रथा ने जन्म लिया बड़े–बड़े शहरों, कस्बो से व्यापारी एक साथ एक निश्चित दिन पर गांव में इकट्ठे होते हैं या तो उस गांव की मुख्य सड़क पर या अन्यत्र कहीं कोई खाली स्थान हो वहां पर यह सब लोग एक बाजार की तरह सड़क के दोनों तरफ दुकानें सजा देते हैं। ग्रामीणों को इंतजार होता है उस हाट वाले दिन का चाहे वो रविवार हो या शनिवार। इसके मूल में यही भावना होती है की सारी चीजें एक ही स्थान पर ग्रामीणों को उपलब्ध हो जाएं। जब लोग हाट में आते है तो अपनी आवश्यकतानुसार सुई से लेकर और चांदी के गहनों, वस्त्रों ,मसालों तक खाने–पीने की वस्तुओं, अनाज,आदि वस्तुओं के रूप में अदला– बदली या किसी नगद के रूप में एक ही स्थान पर मिल जाने से कम खर्च में अधिक सामान उपलब्ध होने पर परिवार में बचत और अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त खर्च नही होता, ना ही किसी प्रकार का टेक्स देना का झंझट और ना ही परिवहन में अपने साजो–सामान लाने व ले जाने का खर्च इस प्रकार कई तरह के खर्चा से छुटकारा व बचत में प्रमुख रूप से सभी वर्गों में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले हाट बाजार से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। सही रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने में हाट बाजार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक और जहा बड़ी बड़ी कंपनीया और कारखाने शहरों में रहने वालों की आवश्यकताओ की आपूर्ति में असमर्थ होते है। वही अलग–अलग क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार लगभग सभी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते है ।

सामाजिक महत्व : हाट बाजार का सामाजिक रूप से बड़ा महत्व है, हाट सगे संबंधियों का मिलन स्थल के तौर पर जाना जाता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति व रिश्तेदार, दोस्त से मुलाकात हाट में हो जाना तय है। आसपास के गांवों में इस दिन विशेष चहल–पहल रहती है। एक तरफ जहां सामाजिक एकता और अखंडता को बनाए रखने में हाट बाजार उपयोगी है वही अमीर–गरीब के बीच कोई भेदभाव नही, बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों में समानता लिए हुए आपसी प्रेम भाव व सामाजिक सोहार्द बनाये रखने में हाट सहायक है।

आदिवासी संस्कृति में हाट का संबंध : हाट बाजारो में हर आदिवासी पुरुष व महिला अपने पारंपरिक वेशभूषा में सजधज कर आते है। महिला व पुरुष वर्ग की टोलीयां ढोल–मादल, थाली लेकर बाजारों में आते है। इनकी थाप पर ताल के साथ अपने पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए हाट बाजारो में आनंद लेते है। आदिवासी संस्कृति में हाट एक अभिन्न अंग है जिसमे आदिवासी संस्कृति से जुड़ी सामग्री जैसे होली के रंग, ढोल, कुंडी, तीर–कामठा, काबरा, घुघरा, आदिवासी घड़ी, ओढ़नी, दुशाला, धोती, कमीज, फेंटा, ताज कोदरा, हामली, कुरी, बट्टी, गूंद, टिमरू, हुंडी, लकड़ी के खाट आदि पारम्परिक सामग्री स्थानीय हाट में ही मिल जाती है। आदिवासी समाज में प्रकृति से लेकर पुन: उसे अर्पित करने की शिक्षा निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में लागत कम होने से उनकी कीमतों पर अधिक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जिससे सभी वर्गों के लोग सरलता से वस्तुओं की खरीदी करने में सक्षम होते है। अलग–अलग क्षेत्र से महिलाएं, बालिकाएं गीत गाते हुए आती है। इस तरह हाट और आदिवासी एक दुसरे के पूरक है। आदिवासी संस्कृति हाट के माध्यम से हमें एक ऐसी व्यवस्था अपनाने को प्रेरित करती है, जो प्रकृति के नियमों का पालन कर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ें।

स्वराज के परिपेक्ष्य में हाट का महत्व : हाट आमतौर पर भारत के गाँवों में लगने वाले स्थानीय बाजार को कहा जाता है। सब्जी, फल, खाद्यान्न या परचून सामग्री आदि हाट में खरीद–बिक्री की जाने वाली प्रमुख हैं। गाँव के लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में हाट की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है। सदियों से भारत के गाँवों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में हाट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सामान्यतया गाँवों में लगने वाले हाट उस क्षेत्र में बाजार का विस्तार एवं दूरी हाट का विांधि को तय करती है। स्थायी तौर पर बनी सब्जी मंडी हाट का विकसित रूप है। हाट बाजार में विभिन्न समुदायों के लोग एक ही स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग प्रकृति को ध्यान में रखते हुये अपने उपभोग की वस्तुओं की व्यवस्था करते हुए हाट में लाते है। हाट स्थानीयता, आत्मनिर्भरता, सतत विकास के साथ बढ़ते क्रम में शांति का संदेश देता है। वास्तव में समाज प्रकृतिवाद, मानववाद व लोकतंत्र के सर्वाधिक करीब है। ग्रामीण लोग ज्यादा आत्मनिर्भर

है। हाट ने शांति, भाईचारा, मानवता, प्रकृति संरक्षण—संवर्धन का रूप दिया। ये सभी रूप वर्तमान समय में हाट बाजार में देखने को मिलते है स्वराज के रूप में हाट विभिन्न समुदायों का निवास है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में हाट का महत्व : वर्तमान समय में सप्ताह के सातों दिनों के अनुसार हाट बाजार अलग–अलग स्थानों पर लगते है। हाट बाजार उत्तम उपाय है। जिससे स्थानीय अर्थतन्त्र को मजबूती तो मिलती है, उस क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक विकास भी होता है। हालांकि हाट बाजार के विभिन्न कार्य हैं, प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। आजकल कई ग्रामीण स्थानों में स्थायी दुकानें और बाजार खुल रहे हैं, हाट बाजार में विक्रेता बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो उन समुदायों के बाहर से हैं। हाट में कीमतें बाजार दरों से कम होती हैं, इसलिए दुकान लगाने के लिए पंचायत को भुगतान व अन्य खर्चों के बाद भी अच्छी आमदनी कर लेता है, स्थानीय लोगों को सस्ते दामों में आवश्यक सामान बिना किसी मोल भाव के आसानी से मिल जाता है। हाट—बाजारों की शक्ल अब बदल गई हैं। तीन–चार कोस पर किसी गांव में लगने वाले बाजार में आसपास के आठ—दस गांव के लोग जुटते है। वे प्राय: मझोले किसान होते व अपनी फसल का थोड़ा—सा हिस्सा बेचने के लिए बैलगाड़ियों में लादकर लाते। छोटी जोत की किसानी करने वाले अपने सिरों पर अनाज रखकर, उसकी बिक्री कर व अपनी जरूरत का सामान बांधकर घर लौट जाते। कई बार यह खरीदारी इतनी कम होती कि उन चीजों की खपत दो—तीन दिनों में ही हो जाती और फिर अगले बाजार का बेचैनी से इंतजार होता है। हाट में बिकने वाली वस्तुओं में दाल, मसाले, गुड़, सरसों, मिट्टी का तेल, कुप्पी, साबुन, कंधी व खाने के दूसरे छोटे—बड़े सामान, कपड़ा, आलू—सब्जी की दुकानें तथा नाई से हजामत बनवाने का भी काम होता। पान और चाट के नुककड़ भी सज जाते। मांस—मछली की बिक्री होती, तो मीड़ से थोड़ा हटकर बैलों और घोड़ों के नाल लगाने तथा उनकी पूँछों के बाल कतरने वाले अपने कारोबार में जुटे होते। कोई एक दवाखाना भी उसी धेरे में आ जमा होता। इन बाजारों में मिट्टी के बर्तन भी बिकते देखने को मिल जाते है इस प्रकार कई तरह से सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक रूप से भी हाट का महत्व बढ़ा है।

हाट के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता:

मुक्त अर्थव्यवस्था ने गांव के ढांचे को ही तोड़ा—बदला नहीं, परंपरागत हाट—बाजार के परिदृश्य को भी उलट दिया है। स्थानीय विक्रेताओं और हाट बाजार विक्रेताओं के बीच एक अनूठा तनाव पैदा होने लगा है जो बाहरी क्षेत्रों से अपने उत्पादों को बेचने के लिए आते हैं। जरूरत की चीजों की खरीदारी के लिए लोग अब मोटर वाहनों से निकटवर्ती कस्बों में जाने लगे हैं। जो पक्की सड़कें गांव के निकट से गुजर कर शहर की तरफ जाती हैं, उनके किनारे बड़ी संख्या में दुकानें हैं, जिनसे देहात के बाजारों की रौनक कम होने के साथ वहां लोगों की उपस्थिति घटी है। ठंडे पेय और पैकटबंद चीजें बेचने वालों ने अब बाजार की नई संस्कृति विकसित की है।

नए बाजार की संस्कृति अब गांव के छोटे हाट—बाजारों को पनपने भी नहीं देना चाहती। गांव में छोटी जोत वाला बड़े लोगों से अपनी घर—गिरस्ती चलाने के लिए जो उधार—कर्ज लेता था, उसे निपटाने के लिए उसके पास साप्ताहिक बाजार में अनाज बेचकर देने का रास्ता होता था, जिसे नए बाजार ने बंद कर दिया है। एक समय बाजार स्वयं चलकर गांव आता था। तब अनाज के बदले चीजों की खरीदारी का चलन था। रसोई का सामान, मसाले, बरफ, चाट, धान का चूरा जैसी वस्तुओं की अदला—बदली का व्यापार बड़ा दिलचस्प था। देहात के बाजारों में किसानों की फसल के खरीदार भी छोटे व्यापारी या बनिये हुआ करते थे, जो थोड़ी पूंजी से सप्ताह भर में कुछ काम चलाऊ कमाई करते, पर उनमें किसानों के शोषण की मंडियों जैसी बड़ी घटतीली वाली गुंजाइश नहीं होती थी। नोटबंदी के दौर में गांव के बाजार की यह धुरी जैसे एकदम टूट गई। दुखद है कि उनकी वह रौनक अब तक वापस नहीं लौटी। गरीब जनता के जीवन—यापन में छोटे हाट—बाजार का इस तरह नष्ट होते चले जाना बहुत त्रासद है। गांव की गरीब जनता के घर चलाने में ये लघु बाजार कभी बहुत सहायक थे, जो इन दिनों अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इसलिए हाट को मजबूत करने के लिए —

- हाट में स्थानीय व्यापारियों को प्रथम प्राथमिकता, पंचायतों के द्वारा आगे आकर नि:शुल्क स्थान उपलब्ध करवाना, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली स्थानिय वस्तुओं को महत्व देना।
- हाट बाजार में प्लास्टिक पेक सामानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध, स्थानीय स्तर पर मेडिकल सुविधायें उपलब्ध करवाना। उत्पादो के आधार पर दुकानों को लगवाना। हाट में सर्दी, धुप, बरसात के समय सभी के लिए जगह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाना, आस—पास के गांवों में प्रचार—प्रसार करना, हाट में शांति पूर्ण व्यवस्था बनाये रखने के लिय पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने में सहयोग करना, स्थानीय एवं बाहरी विक्रेताओं के बीच मनमुटाव को कम करना।
- सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से हाट को आधुनिकता से जोड़ना।
- स्थानीय प्रतिभाओ को प्रतियोगिताओ में शामिल करना।

ध्यान रखने योग्य विषय : हाट बाजार ग्रामीण जन जीवन के लिए बहुत सुविधाजनक और लाभकारी सिद्ध हुए हैं। हाट बाजार की परंपरा ने एक मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाया है पूरा समाज बिना किसी ऊँच—नीच जाति विरादरी अमीर—गरीब के भेद नहीं मानते हुए एक साथ एक पंक्ति में लोग हाट बाजार का आनंद लेते रहे है और हाट में आने वाले दुकानदार भी अलग—अलग होते थे उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना एवं स्थानीय भाषा में लोक गीतों को बढ़ावा देना।
●असामाजिक तत्वों की निगरानी करना , विकट परिस्थितयों से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था करना।
●सामाजिक एकता और अखंडता को बनाए रखने का विशेष ध्यान रखना।
●हाट बाजार सांस्कृतिक परिवेश को पुष्ट करने के लिए छोटे—मोटे मेलों का रूप लिया करते है। जिसमें बच्चे, किशोर, गृहस्थ और यहां तक की वृद्धजन भी इसका आनंद लेते है सभी हाटों में मनोरंजन के अन्य साधनों के साथ लोक संस्कृति को कोई नुकसान न हो ये ध्यान रखना।
●हाट बाजारों में जो भी महिलाये पारंपरिक परिधान, श्रृंगार व गहनों से लदी आती हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना।
●आवागमन के साधनों का प्रबन्ध करना।
●साफ—सफाई की सुयवस्थित व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना।
●आपातकालीन सम्पर्क सूत्रों की व्यवस्था का ध्यान रखना।
●सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यवधान न हो, विशेष ध्यान रखना।
●प्रशासन द्वारा समय समय पर निगरानी तन्त्र को मजबूत बनाये रखना।



लल्लीबाई और मगन का पलायन से स्वावलंबन तक का सफर



राजस्थान के बाँसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत अन्देश्वर में रहने वाले 40 वर्षीय मगन पिता होलिया का जीवन एक साधारण किसान मजदूर का जीवन था। बारहवीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक तंगी ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। मजदूर होकर उन्होंने अपने गाँव का छोड़ा और अहमदाबाद जाकर भवन निर्माण की मजदूरी शुरू की। गाँव का मिट्टी से सना आँगन, बच्चों की हँसी, सब कुछ पीछे छूट गया था। मगर रोजगार के लिए उन्हें घर से दूर कर दिया। वे कहते हैं, “गाँव छोड़ते समय लगता था जैसे अपने हिस्से की खुशियाँ भी वहीं रह गईं।” पत्नी लल्लीबाई और पाँच बच्चों का परिवार गाँव में अकेला रह जाता था। त्योहारों के समय जब गाँव में ढोल—ढमाके गूँजते, तब उनके घर में सन्नाटा होता। किसी बीमारी या जरूरत के समय पैसों की कमी सबसे बड़ी चिंता बन जाती थी। पलायन की यह मजदूरी जीवन का हिस्सा बन चुकी थी फिर आया 2020 कोरोना का साल। दुनिया थम गई, और मगन भी। अहमदाबाद में फैक्ट्री बंद हुई, मजदूरी बंद हुई,

शुरुआती दिन आसान नहीं थे। जगह की कमी, कुलों का खतरा, बीमारी के समय दवाइयों के पैसे हर कदम पर संघर्ष था। कई बार बकरियाँ बीमार पड़ीं, और मन टूटने लगा। लेकिन लल्लीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह कहती हैं।

“कई बार लगता था कि यह काम नहीं चलेगा, लेकिन हमने सोचा अगर अब छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी भर मजदूरी ही करनी पड़ेगी। हमने ठान लिया कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे।”

दोनों पति—पत्नी ने मेहनत की। बकरियों को साफ जगह पर रखना, मिट्टी से बचाने के लिए चारा रस्सी में लटकाकर देना, पौष्टिक आहार खिलाना उन्होंने हर सलाह को अपनाया। धीरे—धीरे बकरियाँ स्वस्थ होने लगीं, दूध बढ़ा, और उनका आत्मविश्वास भी। समय बीता, और दो सालों की निरंतर मेहनत ने रंग दिखाया। आज मगन के पास दस बकरियाँ और चार बकरे हैं। अब यह काम उनकी मुख्य आजीविका बन चुका है। हर साल करीब ₹ 50,000 की आय बकरी पालन से हो रही है। साथ ही, ग्राम पंचायत की नरेगा योजना में भी काम मिलने लगा, जिससे परिवार के दो सदस्यों को लगभग ₹. 28,000 की मजदूरी मिल जाती है।

अब मगन को शहर जाने की जरूरत नहीं। वे अब कहते हैं, “अब हमारे हाथों में मेहनत है, लेकिन मजदूरी नहीं। बच्चों के साथ रहकर काम करना ही असली सुख है।”

लल्लीबाई का योगदान उतना ही अहम है। वह रोज सुबह बकरियों को चारा—पानी देती हैं, उनकी सफाई करती हैं, और जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए गाँव के पशु चिकित्सक से संपर्क करती हैं। वह कहती हैं,

“पहले लगता था कि औरतें बस घर संभाल सकती हैं, पर अब लगता है कि औरत भी परिवार की ताकत बन सकती है। जब अपनी बकरियाँ बढ़ती हैं, तो लगता है जैसे हमारी मेहनत फल दे रही है।”

अब यह परिवार आत्मनिर्भर है। घर का दूध बकरियों से ही मिलता है, बच्चों की पढ़ाई जारी है, और त्योहार अब चिंता नहीं बल्कि खुशी लेकर आते हैं। ग्राम स्वराज समूह की बैठकों में अब मगन दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बन चुके हैं। वह अपने अनुभव साझा करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से संघर्ष के बीच भी रास्ता निकाला जा सकता है। अगर परिवार एकजुट हो और संस्था का सही मार्गदर्शन मिले, तो गाँव की मिट्टी में भी रोजगार के फूल खिल सकते हैं। आज मगन और लल्लीबाई का सपना है कि वे अपने बकरी पालन को और आगे बढ़ाएँ। वे चाहते हैं कि अगली बार बेहतर नस्ल का बकरा लेकर आएँ और एक बड़ा पशु शेड बनाएँ। उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में यह काम गाँव में अन्य परिवारों को भी जोड़ सके। आज यह परिवार गाँव में सम्मान के साथ जी रहा है और मगन और लल्लीबाई ने “पलायन” की जगह “स्वावलंबन” को चुना।



और हाथ में कुछ नहीं बचा। मजदूर होकर वे गाँव लौटे खाली जेब, भारी मन और चिंता से भरे दिन लेकर। घर पर बैठे—बैठे मन में एक ही सवाल था अब आगे क्या? उसी समय गाँव में वाग्धारा संस्था के सामुदायिक सहजकर्ता बिना डामोर और मंजुला गरासिया गाँव में ग्राम स्वराज बैठकों का आयोजन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों को अपने गाँव में ही टिकाऊ आजीविका के रास्ते दिखाना। बिना ने मगन से बात की और उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने चर्चा सुनी कि कैसे किराना दुकान, दूध डेयरी, सिलाई या बकरी पालन जैसे छोटे—छोटे कार्य गाँव में ही शुरू किए जा सकते हैं, तो उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। मगन को याद आया कि उनके घर में पहले भी बकरियाँ रही हैं बस बिना योजना के उन्होंने सोचा, अगर थोड़े ज्ञान और सुधार के साथ यह काम किया जाए, तो शायद यही उनके परिवार के लिए नई राह बन सकता है। संस्था के मार्गदर्शन में मगन ने चार बकरियाँ और दो बकरे लेकर बकरी पालन की शुरुआत की। उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन हौसला बढ़ा था। वाग्धारा के प्रशिक्षणों से उन्हें पशु शेड बनाने, पशु आहार, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी मिली।



विश्व मृदा दिवस



किसान साथियों, हमारी मिट्टी सिर्फ खेत की जमीन नहीं, यह हमारी माँ और पहचान है। यही मिट्टी हमें जीवन देती है, हमें रोजी देती है और हमारे बच्चों का भविष्य संभालती है। राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश में आदिवासी अंचल की यह धरती हमारे पूर्वजों की मेहनत और सपनों से सींची गई है। इस मिट्टी की खुशबू में उनकी आत्मा बसती है और इसकी खुशबू में हमारी परंपरा और प्रेम बसा है—जब खेतों में पहली बरसात गिरती है, तो वह हमें अपनेपन का एहसास दिलाती है!

मिट्टी जीवन का आधार है। इसे बनाया नहीं जा सकता, यह प्राकृतिक रूप से बनती है। मिट्टी ही फसल उगाने, जल को सोखने और पौधों को पोषण देने का काम करती है। यदि मिट्टी का सही ढंग से संरक्षण न किया जाए, तो यह खराब या अनुपजाऊ हो जाती है। हमें जैविक खाद, पोषक तत्व और परंपरागत उपायों से मिट्टी की रक्षा करनी चाहिए ताकि यह हमेशा उपजाऊ बनी रहे।

विश्व मृदा दिवस का इतिहास —

अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ (IUSS) द्वारा वर्ष 2002 में स्वस्थ मिट्टी के महत्व और टिकाऊ मृदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विश्व मृदा दिवस मनाने की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद जून 2013 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने सर्वसम्मति से इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा, जिसे 5 दिसंबर 2014 से आधिकारिक रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति मिली। इसी परंपरा के तहत, **वाग्धारा संस्था द्वारा इस वर्ष भी 5 दिसंबर 2025 को 1168 गांवों में कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन के नेतृत्व में विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया जाएगा।** इसका उद्देश्य किसानों और स्थानीय समुदायों में मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, टिकाऊ कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और मिट्टी संरक्षण तथा जैविक खेती के महत्व को उजागर करना है। इस अवसर पर मिट्टी परीक्षण जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की महत्ता, जागरूकता रैलियों, ग्राम सभाएँ, प्रदर्शनी एवं मॉडल प्रदर्शन और किसान संवाद सत्र जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, ताकि स्थानीय स्तर पर अनुभव साझा किए जा सकें और मिट्टी संरक्षण की दिशा में सक्रिय पहल की जा सके। आशा है कि आपके नेतृत्व और सहयोग से यह आयोजन उत्साह और सफलता के साथ संपन्न होगा।

विश्व मृदा दिवस—आयोजन की गतिविधियाँ

विश्व मृदा दिवस के अवसर पर गाँव में कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन या ग्राम स्वराज समूह के नेतृत्व में सबसे पहले पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ग्राम भ्रमण किया जाएगा। इस दौरान समूह मृदा दिवस से संबंधित नारे लगाते हुए जागरूकता रैली निकालेंगे और सभी समुदाय के सदस्यों को कार्यक्रम स्थल पर मिट्टी और बीज लेकर आने के लिए आमंत्रित करेंगे। रैली का उद्देश्य गाँव के लोगों में मिट्टी के महत्व के प्रति उत्साह और संवेदनशीलता पैदा करना है। गाँव के प्रत्येक फला, पाड़ा और फलिया से मिट्टी और बीज को संग्रहीत किया जाएगा, ताकि कार्यक्रम में उनका उपयोग किया जा सके। गाँव के मध्य स्थल पर समूह और समुदाय के साथ रंगोली बनाने की गतिविधि आयोजित की जाएगी। मिट्टी और बीज से रंगोली बनाना न केवल आकर्षक होगा, बल्कि यह मिट्टी के महत्व को कला के माध्यम से समझाने का एक सरल तरीका भी है।

कार्यक्रम के दौरान संवाद सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिट्टी के महत्व, उसकी उर्वरता और उसे संरक्षित रखने के तरीकों पर चर्चा होगी। समुदाय के सदस्यों को मिट्टी और जल संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील किया जाएगा और उनके सुझावों को साझा किया जाएगा। साथ ही स्थानीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और राज्य सरकार द्वारा मिट्टी और जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेकर उन्हें सूचीबद्ध

किया जाएगा, ताकि समुदाय 26 जनवरी 2025को होने वाली ग्रामसभा में प्रस्ताव रख सके।

इसके अतिरिक्त, हलमा (सामूहिक श्रमदान) का आयोजन कर जल स्रोतों पर रिचार्ज पीट बनाए जाएंगे, जल स्रोतों की मरम्मत और परंपरागत जल स्रोतों की सफाई की जाएगी। घरेलू उपयोग के बाद बचा वेस्ट/ग्रे वाटर पोषणवादी की सिंचाई में उपयोग किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंत में समुदाय के साथ मृदा और जल संरक्षण की शपथ ली जाएगी। समापन के समय धरती माता की आरती कराई जाएगी और पूजित मिट्टी को समुदाय के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। इस तरह यह कार्यक्रम मिट्टी के संरक्षण के महत्व को न केवल दिखाएगा बल्कि हर सदस्य को इसके लिए सक्रिय बनाने का भी अवसर देगा।

मिट्टी के बारे में रोचक तथ्य और जानकारी

- मिट्टी दवाई है** — मिट्टी सिर्फ खेती का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। मिट्टी में ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं, जो पौधों और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं।
- मुट्ठी भर मिट्टी में हजारों सूक्ष्मजीव** — सोचिए, पृथ्वी पर जितने लोग हैं, उससे भी ज्यादा सूक्ष्मजीव केवल एक मुट्ठी मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पौधों की जड़ें मजबूत करते हैं और मिट्टी के पोषण चक्र को सही रखते हैं।
- केंचुए मिट्टी की मदद करते हैं** — एक बीघा जमीन में लगभग 2500—3000केंचुए रहते हैं। ये केंचुए हर साल 5 से 6 टन मिट्टी जमीन के नीचे से ऊपर लाकर जमा करते हैं। इस प्रक्रिया से मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व मिल जाते हैं, जो प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। इससे भूमि हल्की, उपजाऊ और फसल उगाने लायक बनती है। यदि केंचुए मिट्टी से पूरी तरह हटा दिए जाएँ, तो भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और फसल की पैदावार प्रभावित होती है।
- मिट्टी का सही प्रबंधन से कम कार्बन उत्सर्जन** — जब हम मिट्टी की अच्छी तरह देखभाल करते हैं, जैसे जैविक खाद का इस्तेमाल या गहरी जुताई कम करना, तो यह वातावरण में कम हानिकारक गैसें छोड़ती है। यानी मिट्टी हमारे लिए और पृथ्वी के लिए दोनों जरूरी है।
- किसानों की भूमिका** — किसान अपनी मेहनत से मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। अगर आप जैविक खेती अपनाएं और रासायनिक उर्वरक कम करें, तो 2—3 वर्षों में खेत की मिट्टी को पूरी तरह जैविक मृदा में बदल सकते हैं।
- मिट्टी जल को साफ करती है** — जब मिट्टी साफ और स्वस्थ होती है, तो यह बारिश का पानी और घरेलू उपयोग का पानी फिल्टर कर भूमिगत जल को साफ रखती है। लेकिन अगर मिट्टी दूषित हो गई तो पानी भी दूषित होगा।
- रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रभाव** — आजकल जहरीले रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल होने से लगभग एक तिहाई मिट्टी अनुपजाऊ हो चुकी है। इसका मतलब है कि बिना मिट्टी की देखभाल के हम अपने खेतों की उत्पादकता और स्वास्थ्य दोनों खो सकते हैं।



पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना

आदिवासी समुदाय की संस्कृति में पशुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पशुधन केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। गाय, बैल, भैंस, बकरी और मुर्गी जैसे पशु आदिवासी परिवारों की आजीविका में सहयोगी होने के साथ—साथ पोषण का स्रोत हैं और परंपरागत खेती के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुधन आदिवासी समाज के लिए आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक है। उनके बिना आदिवासी जीवन अधूरा माना जाता है। इसलिए, पशुओं का संरक्षण और उनका उचित प्रबंधन आदिवासी समुदाय के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पशुधन के स्वास्थ्य और पोषण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, इस माह की पत्रिका के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित “पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना—1962” से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है, ताकि क्षेत्र के समुदाय इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अपने पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को सशक्त बना सकें।



पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना—“1962” (टोल—फ्री हेल्पलाइन नंबर—1962)

मध्यप्रदेश सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के विकास तथा पशुओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना—1962”की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को घर बैठे आपातकालीन स्थिति में त्वरित पशु चिकित्सा और एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराना है।

“1962”एक विशेष टोल—फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जो पशुओं के इलाज एवं आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवा हेतु समर्पित है। इस सेवा के अंतर्गत मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस (जैसे “पशु मोबाइल चिकित्सा सेवा” भी कहा जाता है) स्थापित की गई हैं। जैसे ही कोई पशुपालक इस नंबर पर कॉल करता है, एम्बुलेंस टीम बताये गए स्थान पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने पहुँच जाती है। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वाहनों में एक पशु चिकित्सक, सहायक और चालक (या अन्य तकनीकी सहायक) तैनात रहते हैं, जो पशुओं को आवश्यक उपचार प्रदान करते हैं। इन मोबाइल एम्बुलेंस में आधुनिक चिकित्सा उपकरण, रोग परीक्षण सामग्री, शल्य—क्रिया उपकरण एवं दवाइयों उपलब्ध रहती हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत और प्रभावी उपचार किया जा सके। शासन की यह पहल पशुपालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- पशुपालकों को आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ताकि

बीमार या घायल पशुओं को तुरंत सहायता मिल सके।

- ग्रामीण एवं पशुपालन—प्रधान क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना।
- पशुओं की उत्पादकता एवं जीवनकाल में सुधार लाना, जिससे पशुपालन व्यवसाय अधिक लाभदायक बन सके।
- पशु रोगों के प्रसार को रोकना और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सरकार की गौ—रक्षा एवं पशुपालन विकास नीति को सशक्त बनाना।

सेवा शुल्क (Service Charges)

- इस सुविधा का लाभ लेने हेतु मामूली शुल्क देना होता है—
- बड़े पशु (गाय, भैंस आदि) के लिए : ₹. 150
- 1 से 10 बकरियों के समूह के लिए : ₹. 150
- छोटे पालतू जानवर कुत्ता , बिल्ली : ₹. 300

मध्यप्रदेश की यह **“पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना—1962”** पशुपालन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पहल है। यह योजना पशुपालकों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर पशुधन के स्वास्थ्य, पोषण और उत्पादकता को मजबूत बनाती है। आप सभी पाठकों से आग्रह है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएँ और अपने गाँवों एवं समुदायों के पशुपालकों को भी इसके प्रति जागरूक करें व उन सभी तक ये सन्देश पहुँचाये, ताकि पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सके।



अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें –

वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम—पोस्ट कुपड़ा, वाग्धारा केम्पस, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
फोन नम्बर है – 9460051234 ई—मेल आईडी – radio@vaagdhara.org

यह
“वातें वाग्धारा नी”
केवल
आंतरिक
प्रसारण है।

संकलन एवं सहयोग : **जागृती भट्ट**

